न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः– 10/2019 दायर दिनाँक 11.07.2019

आवेदक		अनावेदकगण
1. हडमानसिंह पुत्र लखसिंह जाति राजपूत निवासी डसाणा खुर्द तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अंग्रेज कंवर पत्नी स्व0 जब्बरसिंह 2. नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 जब्बरसिंह 3. मदनसिंह पुत्र पदमसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी डसाणा खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 4. मनोहर पुत्र देवी सिंह जाति राजपूत निवासी–गोठड़ा तह. नवलगढ़, जिला–झुन्झुनूं (राज) 5. तहसीलदार, डीडवाना

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री विरेन्द्र सिंह वकील प्रार्थी।
2. श्री अशोक भाकर वकील अप्रार्थी सं0 01 ता 03

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 03.02.2020

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदकगण उपखण्ड डीडवाना में ग्राम डसाणा खुर्द में स्थित खेत खसरा नम्बर 324/111 रकबा 29.15 बीघा के खातेदार है। उक्त खसरा की भूमि में पहुँचने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं0 01 ता 03 की तरफ से वकील श्री अशोक भाकर ने जबाब पेश किया। अप्रार्थी सं. 04 व 05 बावजूद तामिल के न्यायालय में अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जाँच व तथ्यात्मक रिपॉर्ट तलब की गयी। तहसीलदार डीडवाना द्वारा पत्रांक 33 दिनाँक 20.12.2019 के द्वारा रिपॉर्ट अदालत में पेश की गयी।

तहसीलदार डीडवाना ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 343/18, 354/116 में से होकर दर्शित मार्क ए बी सी डी ई एफ की भूमि को रास्ता की भूमि प्रस्तावित किया जो कि खसरा नम्बर 324/111 की भूमि में जाती है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–10 / 2019
दायर दिनाँक 11.07.2019 निर्णय दिनाँक 05.02.2020
हनुमानसिंह बनाम अग्रेज कंवर, वगैरा।

विद्वान वकुलाय आवेदक की सारगर्भित उभय पक्ष बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीपक्ष आवेदन को स्वीकार करने की इस्तदुआ कर रहे हैं। वकुलाय प्रार्थीपक्ष की बहस पर मनन् किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। सरहद डसाणा खुर्द के खसरा नम्बर 324 / 111 रकबा 29.15 बीघा में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थी मांग कर रहे है। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) में संशोधन होने के बाद एक काश्तकार को उसकी भूमियों में आने–जाने के लिए निकटतम रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदक की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थी को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई नजरी नक्शा रिपोर्ट मुताबिक मार्क ए बी सी डी ई एफ भूमि को रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है जो कि खसरा सं0 324 / 111 के नजदीकी रास्ता लगता है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 324 / 111 वाकै सरहद डसाणा खुर्द में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 33 दिनाँक 20.12.2019 में दर्शित मार्क ए बी सी डी ई एफ भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का वर्तमान डी0एल0सी0 दर से नियमानुसार आंकलन कर प्रभावित खातेदारान् को भूगतान की कार्यवाही करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **05.02.2020** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.02.06 14:37:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: